छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ॰ग॰)

विषयः–विभिन्न संस्थानों के नहर शिफ्टिंग/नहर क्रासिंग इत्यादि की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सचिव स्तरीय बैठक दिनांक 03.06.2013 का कार्यवाही विवरण

———————————————————————————————————

श्री सुनिल कुमार, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2013 को सायं 6.00 बजे सचिव स्तरीय विषयांतर्गत बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न है।
बैठक में निम्नलिखित प्रकरणों पर विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड तिल्दा, जिला–रायपुरः– भाटापारा शाखा नहर की सिलपट्टी वितरक नहर की आर.डी. 2280 मी. से 3450 मी. को श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के संयंत्र क्षेत्र में एक ओर शिफ्टिंग हेतु संस्थान द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्य तथा उद्योग विभाग का अभिमत/सहमति प्राप्त है।

प्रकरण पर विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रथमतः संस्थान अपने स्वामित्व की भूमि पर स्वयं के व्यय से जल संसाधन विभाग के मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में व्यपवर्तित नहर की पूरी लम्बाई में लाईनिंग सहित नहर, एक्वाडक्ट एवं अन्य आवश्यक पक्के कार्य का निर्माण कर जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करेगा एवं निर्मित संरचनाओं के संधारण एवं मरम्मत कार्य स्वयं करते रहने की सहमति देगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नवनिर्मित नहर से पूर्व की सिंचाई रकबे एवं व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। तत्पश्चात् विभाग आवश्यक अनुमति/स्वीकृति बाबत् आदेश जारी करेगा।इसके पश्चात् संस्थान राजस्व विभाग के माध्यम से, नवनिर्मित नहर की भूमि जल संसाधन विभाग के नाम से हस्तांतरित करेगा तथा वर्तमान में निर्मित नहर की भूमि संस्थान के नाम से हस्तांतरित की जावेगी। उक्त नहर की निर्माण अवधि में वर्तमान नहर से सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पादित की जावे, ताकि किसानों को असुविधा न हो।

2. मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड ग्राम एकताल, जिला–रायगढ़ः– संस्थान द्वारा प्रस्तावित 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट हेतु रेल्वे साइडिंग में नालों पर पुल निर्माण, नाला परिवर्तन तथा रेल्वे साइडिंग के कारण प्रभावित होने वाले सैंच्य क्षेत्र के लिए नई व्यवस्था हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग का अभिमत/सहमति प्राप्त है।

प्रकरण पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रथमतः संस्थान स्वयं के व्यय से जल संसाधन विभाग के मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में आठ नग आर.सी.सी. बाक्स कल्वर्ट, एक नग साइफन, एक नाला परिवर्तन, एक मार्ग परिवर्तन एवं सैंच्य क्षेत्र हेतु आवश्यक समस्त पक्के कार्यो का निर्माण कर जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करेगा एवं निर्मित संरचनाओं के संधारण एवं मरम्मत कार्य स्वयं करते रहने की सहमति देगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संरचनाओं के निर्माण उपरांत पूर्व की सिंचाई व्यवस्था में कोई

कमी नहीं होगी। तत्पश्चात् विभाग आवश्यक अनुमति/स्वीकृति बाबत् आदेश जारी करेगा।उक्त पक्के कार्यो की निर्माण अवधि में वर्तमान नहर से सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पादित की जावे, ताकि किसानों को असुविधा न हो।

3. अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड ग्राम सिंघीतराई, जिला–जांजगीर चांपाः– संस्थान द्वारा महानदी में प्रस्तावित मिरौनी बैराज से जल प्राप्ति हेतु पम्प हाउस के संचालन हेतु 33000 वोल्ट की शिरोपरी विद्युत पारेषण लाईन बिछाने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त लाइन हेतु मिनीमाता बांगो परियोजना के अंतर्गत सिंघरा वितरक नहर प्रणाली में आने वाली नहरों के किनारे 251 नग विद्युत खम्भे लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का अभिमत/सहमति प्राप्त है।

प्रकरण पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि संस्थान को अनुमति प्रदान करने के पूर्व जल संसाधन विभाग की स्वामित्व की शासकीय भूमि में विद्युत खम्भे लगाये जाने के एवज में Right of Way हेतु विभाग राशि का निर्धारण करे, इस हेतु ऊर्जा विभाग से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है तथा विद्युत लाइन बिछाने हेतु निर्धारित शासकीय दर पर राशि जमा करवायी जाए। तत्पश्चात् विभाग आवश्यक अनुमति/स्वीकृति बाबत् आदेश जारी करेगा।

4. डी.बी.पावर लिमिटेड ग्राम बारादरहा, जिला–जांजगीर चांपाः– संस्थान द्वारा ग्राम बारादरहा में बन रहे 1200 (2X600) मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र हेतु कोयला लाने के लिये प्रस्तावित रेल व सड़क परियोजना के अंतर्गत मिनीमाता बांगो परियोजना की नहर प्रणाली की छोटे डुमरपाली उपवितरक नहर, कुनकुनी माइनर, बेन्दोझरिया माइनर, खैरपाली माइनर एवं टायंग वितरक सिंचाई नहरों पर सेतुओं के निर्माण हेतु अनापत्ति बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित रेल लाईन नहरों को पांच स्थानो पर क्रास करती है तथा सैंच्य क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। उक्त क्रासिंग एवं सैच्य क्षेत्र की सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु पांच नग पक्के कार्य एवं तथा 17 नग पुलियों का निर्माण क्रास ड्रेनेज के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में नोडल अधिकारी (रेल कॉरीडोर) एवं ऊर्जा विभाग का अभिमत/सहमति प्राप्त है।

प्रकरण पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रथमतः संस्थान अपने स्वामित्व की भूमि पर स्वयं के व्यय से जल संसाधन विभाग के मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में पांच नग पक्के कार्य एवं सैंच्य क्षेत्र हेतु विभाग द्वारा निर्देशित 17 नग पुलियों का निर्माण क्रास ड्रेनेज के रूप में निर्माण कर जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करेगा एवं निर्मित संरचनाओं के संधारण एवं मरम्मत कार्य स्वयं करते रहने की सहमति देगा । विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संरचनाओं के निर्माण उपरांत पूर्व की सिंचाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। तत्पश्चात् विभाग आवश्यक अनुमति/स्वीकृति बाबत् आदेश जारी करेगा। पक्के कार्यो की निर्माण अवधि में वर्तमान नहर से सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पादित की जावे, ताकि किसानों को असुविधा न हो।

5. जी.एम.आर. छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड कंपनी रायखेड़ा, जिला–रायपुरः– संस्थान द्वारा ग्राम रायखेड़ा विकासखण्ड तिल्दा, जिला–रायपुर में कोयला आधारित 1370 मेगावाट विद्युत प्लांट के

लिये जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत रायखेड़ा जलाशय की नहर स्थित होने से उक्त नहर की 1500 मी. लम्बाई को संयंत्र परिसर में एक ओर शिफ्ट करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में सी.एस.आई.डी.सी. एवं राजस्व विभाग से अभिमत/सहमति प्राप्त है।

प्रकरण पर विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रथमतः संस्थान अपने स्वामित्व की भूमि पर स्वयं के व्यय से जल संसाधन विभाग के मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में व्यपवर्तित नहर की पूरी लम्बाई में लाईनिंग सहित नहर, अन्य आवश्यक पक्के कार्यों का निर्माण कर जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करेगा एवं निर्मित संरचनाओं के संधारण एवं मरम्मत कार्य स्वयं करते रहने की सहमति देगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नवनिर्मित नहर से पूर्व की सिंचाई रकबे एवं व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। तत्पश्चात् विभाग आवश्यक अनुमति/स्वीकृति बाबत् आदेश जारी करेगा।इसके पश्चात् संस्थान राजस्व विभाग के माध्यम से, नवनिर्मित नहर की भूमि जल संसाधन विभाग के नाम से हस्तांतरित करेगा तथा वर्तमान में निर्मित नहर की भूमि संस्थान के नाम से हस्तांतरित की जावेगी। उक्त नहर की निर्माण अवधि में वर्तमान नहर से सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पादित की जावे, ताकि किसानों को असुविधा न हो।

6. जनपद पंचायत गुरूरः— जनपद पंचायत, गुरूर द्वारा ग्राम अकलवारा, विकासखण्ड गुरूर, जिला—बालोद में अकलवारा—पेरपार सड़क निर्माण हेतु महानदी परियोजना के जल प्रबंध संभाग रूद्री के अन्तर्गत कंवरहट शाखा नहर क्र.—01 एवं खोरदो माईनर नहर के नहर मार्ग में 2 किमी. लम्बाई की सड़क हेतु अनापत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। प्रकरण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिमत/सहमति प्राप्त है। बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग से क्षेत्र के ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रकरण पर विचारोपरांत जनहित को देखते हुए उक्त 2.00 किमी. नहर मार्ग पर सड़क निर्माण की जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

7. के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा, जिला—जांजगीर चांपाः— संस्थान द्वारा 6X600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मध्यवर्ती जलाशय के डूबान में आने वाली केसला माइनर (आर.डी.1440 मी.से 2400 मी.) एवं केसला सब माइनर (आर.डी. 0 मी.से 1170 मी.) के डायवर्सन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त नहर मिनीमाता बांगो परियोजना की अकलतरा शाखा नहर प्रणाली के अन्तर्गत आती है। प्रकरण में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा राजस्व विभाग एवं उर्जा विभाग का अभिमत/सहमति प्राप्त है।

प्रकरण पर विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रथमतः संस्थान अपने स्वामित्व की भूमि पर स्वयं के व्यय से जल संसाधन विभाग के मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में व्यपवर्तित नहर की पूरी लम्बाई में लाईनिंग सहित नहर, अन्य आवश्यक पक्के कार्यों का निर्माण कर जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करेगा एवं निर्मित संरचनाओं के संधारण एवं मरम्मत कार्य स्वयं करते रहने की सहमति देगा। विभाग यह सुनिश्चित

करेगा कि नवनिर्मित नहर से पूर्व की सिंचाई रकबे एवं व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। तत्पश्चात् विभाग आवश्यक अनुमति/स्वीकृति बाबत् आदेश जारी करेगा।इसके पश्चात् संस्थान राजस्व विभाग के माध्यम से, नवनिर्मित नहर की भूमि जल संसाधन विभाग के नाम से हस्तांतरित करेगा तथा वर्तमान में निर्मित नहर की भूमि संस्थान के नाम से हस्तांतरित की जावेगी। उक्त नहर की निर्माण अवधि में वर्तमान नहर से सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पादित की जावे, ताकि किसानों को असुविधा न हो।

अन्त में मुख्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

—सही—
सदस्य सचिव,
राज्य ज.सं. उपयोग समिति, सह
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
ज.सं. विभाग, मंत्रालय

अनुमोदित

—सही—
(सुनिल कुमार)
मुख्य सचिव

परिशिष्ट–1

बैठक दिनांक 03.06.2013 में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों की सूची

1. श्री एन.के.असवाल, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय।
2. श्री एन.बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय।
3. श्री देवाशीष दास, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय।
4. श्री अमन सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय।
5. श्री के.आर.पिस्दा, सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय।
6. श्री एच.आर. कुटारे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
7. श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कलेक्टर रायपुर।
8. श्री दिलीप कुमार कुर्रे, परि.निर्देशक, डी.आर.डी.ए.(कलेक्टर प्रतिनिधि), बालोद।
9. श्री पी.आर. चौरसिया, मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्या. प्रमुख अभियंता ज.स.वि., रायपुर।
10. श्री आर.एन.दिव्य, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
11. श्री एस.व्ही भागवत, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर।
12. श्री जयन्त पवार, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर।
13. श्री इन्द्रजीत उइके, मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर।
14. श्री डी.के.झा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय।
15. श्री एम.एस.रत्नम्, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय।
16. श्री एस.के.पाठक, अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मण्डल, कोरबा।